

# कार्यालय, अधीक्षक मद्यनिषेध, पश्चिम चम्पारण बेतिया।

## आदेश

विभागीय आवंटनादेश सं०-364 दिनांक-02.02.2021 द्वारा सर्वश्री हरिनगर आसवनगृह, हरिनगर को उनके अनुसंगी ईकाई हरिनगर सुगर मिल, प० चम्पारण से वर्तमान पेरई वर्ष 2020-21 के उत्पादित छोआ में से 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) क्वींटल Captive B-Heavy छोआ का आवंटन किये जाने के उपरांत आवंटि द्वारा मांग किये जाने पर विभागीय पत्रांक-94 दिनांक-21.01.2011 के आलोक में कुल आवंटित मात्रा 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) क्वींटल Captive B-Heavy छोआ के उद्भरण का आदेश दिया जाता है।

2. निरीक्षक मद्यनिषेध, प्रभारी हरिनगर सुगर मिल, प० चम्पारण आवंटनादेश में निहित शर्त एवं बंधेजो के तहत विभागीय पत्रांक-94 दिनांक-21.01.2011 एवं विभागीय पत्रांक-364 दिनांक-02.02.2021 के अलोक में छोआ का उद्भरण सुनिश्चित करेंगे।

3. आवंटित छोआ का परिवहन पाईप लाइन से किया जायेगा।

5. आवंटित छोआ के उद्भरण की मान्यता अवधि पत्र निर्गत कि तिथि से एक माह अर्थात् दिनांक-01.03.2021 तक निर्धारित कि जाती है।

अधीक्षक मद्यनिषेध  
प० चम्पारण, बेतिया।

प्रतिलिपि - ज्ञापांक 74/म०नि० दिनांक 3.2.21  
प्रबंधक, हरिनगर सुगर मिल, प० चम्पारण/निरीक्षक मद्यनिषेध, प्रभारी हरिनगर सुगर मिल, प० चम्पारण/अधीक्षक मद्यनिषेध, हरिनगर आसवनगृह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षक मद्यनिषेध  
प० चम्पारण, बेतिया।  
3/2/21